फारम सं0-563

क्रम	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

सुरेश सिंह पिता-स्व0 इन्द्र राम, ग्राम-मटवारी-हाल जबरा रोड, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-जबरा, थाना नं0-154, खाता संख्या-14, प्लॉट संख्या-702 रकवा-8.32 डी0 भूमि रान्ती देवी, पति-रामटहल पासवान, ग्राम+पोस्ट-डुमरौन, थाना-ईचाक जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 112/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता रान्ती देवी एवं विक्रेता सुरेश सिंह अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बिक्री करने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 1.68.93 एकड़ भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं गनी दर्जी के नाम दर्ज है। भूमि आवेदक को माता वीणा देवी एवं अन्य के नाम केवाला से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 164/I पर आवेदक की माँ वीणा देवी वगै0 के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2019-20 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता सुरेश सिंह का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2019/729931 दिनांक 05.09.2019 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2019/09260, दिनांक 16.08.2019 और क्रेता रान्ती देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या - JHRC/2018/1194711 दिनांक 28.12.2018 एवं अंचल अधिकारी, दारू, हजारीबाग द्वारा ऑनलाईन निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2018/1433438 दिनांक 14.10.2018 के आधार पर तथा अंचल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-जबरा, थाना नं0-154, खाता संख्या-14, प्लॉट संख्या-702 रकवा-8.32 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.03.31 13:03:42 +05:30
Location: 192.168.100.2